

17/12/25

पञ्चावली वाले निधि- पर डी।
उपय- फ- उप- वाड वारी (बीमा)
डिमा जाला हौ विस्त निधि- जेका
से लिखाका फाल- शा. नि. डिमा
जका डिप्टी जारी हौ कल- ले फल-
हा

निधि- डीमा जाला

उपखण्ड अधिकारी
सूखगढ (राज.)

GCMS
2023/50

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या:- 01/2023 G.C.M.S:- 2023/50

दायरा दिनांक:- 02.01.2023

-: अनवान :-

रामप्रताप पुत्र भारूराम जाति जाट निवासी 18 एल.जी.डब्ल्यू. ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र भारूराम जाति जाट निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. उप-पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 48, 49, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. श्री बलदेव बिश्नोई, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।



- :: निर्णय ::-

दिनांक:- 17.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पारिवारिक संयुक्त सम्पत्ति कृषि भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 18 एल.जी. डब्ल्यू(ए) पटवार हल्का ढाबा की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 72/81 में पत्थर नम्बर 15/296 मु.न. 13 किला नम्बर 21/1, 21/2, 22, 23/1 में 0.6580 हैक्टेयर नहरी, 0.0250 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, पत्थर नम्बर 15/297 मु.न. 20 किला नम्बर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 14, 15 में 1.9100 हैक्टेयर नहरी, 0.1140 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, पत्थर नम्बर 16/296 मु.न. 12 किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 25/1, 25/2 में 5.188 हैक्टेयर नहरी, 0.1250 हैक्टेयर खाला कुल खाता 8.0200 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता व खाला खातेदारी भूमि वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम व प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। इसी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू(ए) पटवार हल्का ढाबा की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 73/13 में पत्थर नम्बर 14/298 मु.न. 24 किला नम्बर 1, 2/1, 10 में 0.6320 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अनकमाण्ड खातेदारी भूमि वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम व प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। इसी चक 18 एल.जी. डब्ल्यू.(ए) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 62/2 में पत्थर नम्बर 15/298 मु. न. 23 किला नम्बर 1 ता 9, 10/1, 15/1 में 2.4290 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि जिसमें वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम व प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम के नाम से 1/3 हिस्सा की घोषणा बाबत वाद जैरकार हैं। तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एल.के.एस पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 49/35 में पत्थर नम्बर 17/283 मु.न. 14 किला नम्बर 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/3 में 3.7440 हैक्टेयर अनकमाण्ड बारानी मय खाला खातेदारी भूमि में वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम व प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम के नाम से प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं तथा 1/9 हिस्सा इनकी माता जमनादेवी पत्नी भारूराम के नाम से दर्ज हैं जिनका स्वर्गवास दिनांक 23.11.2012 को हो चुका हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 19 एल.जी. डब्ल्यू.(बी) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 40/38 में पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 किला 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6 ता 8, 13/1, 14 ता 17, 24, 25 में 3.1630 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी भूमि वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व इसी चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(बी) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 24/22 में पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 किला 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 9 ता 12, 13/2, 18 ता 23 में 3.1620 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी भूमि प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों सगे भाई हैं व दोनों के नाम से उक्त वर्णित अनुसार अलग अलग खातों में तथा संयुक्त खातों में रकबा पुराना खातेदारी चला आ रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आज से करीब 4 वर्ष पूर्व उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की काश्त की सुविधा अनुसार पारिवारिक समझौता के तहत बंटवारा कर लिया तथा उसी बंटवारा अनुसार अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं। पारिवारिक समझौता के तहत बंटवारा दिनांक 04.09. 2018 निष्पादित किया गया। इस बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में अपनी उक्त जैरवाद भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से किया :-
वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम को बंटवारा अनुसार प्राप्त भूमि:-



- (1)- तहसील सूरतगढ़ के चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 72/81 में पत्थर नम्बर 15/296 मु.न. 13 किला नम्बर 21/1, 21/2, 22, 23/1 में 0.6580 हैक्टेयर नहरी, 0.0250 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, पत्थर नम्बर 15/297 मु.न. 20 किला नम्बर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 14, 15 में 1.9100 हैक्टेयर नहरी, 0.1140 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, पत्थर नम्बर 16/296 मु.न. 12 किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 25/1, 25/2 में 5.188 हैक्टेयर नहरी, 0.1250

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हैक्टेयर खाला कुल खाता 8.0200 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता व खाला खातेदारी

- (2)– तहसील सूरतगढ़ के चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 62/2 में पत्थर नम्बर 15/298 मु.न. 23 किला नम्बर 1 ता 9, 10/1, 15/1 में 2.4290 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 0.80966 हैक्टेयर में से 0.4973 हैक्टेयर
कुल = 8.5173 हैक्टेयर

प्रतिवादी बलराम पुत्र भारूराम को बंटवारा अनुसार प्राप्त भूमि:–



- (1)–तहसील सूरतगढ़ के चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(बी) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 24/22 में पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 किला 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 9 ता 12, 13/2, 18 ता 23 में 3.1620 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी
- (2)–तहसील सूरतगढ़ के चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(बी) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 40/38 में पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 किला 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6 ता 8, 13/1, 14 ता 17, 24, 25 में 3.1630 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता खातेदारी भूमि
- (3)– तहसील सूरतगढ़ के चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 73/13 में पत्थर नम्बर 14/298 मु.न. 24 किला नम्बर 1, 2/1, 10 में 0.6320 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि
- (4)– तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एल.के.एस पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 49/35 में पत्थर नम्बर 17/283 मु.न. 14 किला नम्बर 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/3 में 3.7440 हैक्टेयर अनकमाण्ड बारानी मय खाला खातेदारी भूमि में 3/9 हिस्सा 1.248 हैक्टेयर खातेदारी
- (5)–तहसील सूरतगढ़ के चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) पटवार हल्का ढाबां की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 62/2 में पत्थर नम्बर 15/298 मु.न. 23 किला नम्बर 1 ता 9, 10/1, 15/1 में 2.4290 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 0.80966 हैक्टेयर में से 0.3123 हैक्टेयर
कुल = 8.5173 हैक्टेयर

उक्त वर्णित बंटवारा अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी न. 1 दोनो भाई अलग अलग काशत करते आ रहे हैं। वादी ने मुताबिक कब्जा काशत के रकबा अपने नाम से घोषित करवाने के लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो डिफ्री किये जाने योग्य हैं। जहां पर आज वादी का कब्जा काशत चला आ रहा है उस भूमि को वादी के द्वारा भारी खर्चा लगाकर व कड़ी मेहनत करके सुधारा है। अपने उंटो से व ट्रेक्टरों से व किराये के ट्रेक्टरों से भी भारी खर्चा लगाकर जैरवाद भूमि को काबिल काशत किया है। अब प्रतिवादी वादी द्वारा सुधारी हुई

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भूमि देखकर बदयान्त हो गया हैं तथा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौता अनुसार बंटवारा को नकारते हुए अपने अपने नाम से अंकित भूमि को ही लेने की जिद करते हुए वादी के कब्जा काश्त की भूमि को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हैं तथा वादी की खड़ी फसल को नष्ट करने पर उतारू हैं तथा वादी को बेदखल करने पर उतारू हैं। वादी ने प्रतिवादी न. 1 को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाने पर सहमत हो गया लेकिन अदालत में नहीं आया। इस पर दिनांक 20.12.2022 को वादी गांव ढाबा में प्रतिवादी के घर गया व अदालत में चलकर उनके कब्जा काश्त की भूमि व वादी के कब्जा काश्त की भूमि के रिकार्ड को मुताबिक समझौता बंटवारानामा के करवाने को कहा तो प्रतिवादी न. 1 ने स्पष्ट मना कर दिया व कहा कि अदालत में दावा कर दो व दावा के नोटिस अदालत से आवेंगे तब देखुंगां आज आपके साथ नहीं चलुंगां वादी की इन्कारी ही वाद कारण हैं। वादी एवं प्रतिवादी न. 1 के पास समान रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जो पिछले 20 वर्षों से हैं व वादी इसी अनुसार दावा डिक्री करवाने का पूर्ण हकदार हैं रिकार्ड में रकबा एक समान दर्ज हैं इसलिए कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं हैं। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद पत्र वादी अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री किया जावे।



वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अभिभाषक दिनांक 03.10.2023 को उपस्थित आया परन्तु प्रतिवादी न. 1 को बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपना लिखित कथन जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया इसलिए दिनांक 15.01.2024 को जवाबदावा बन्द किया गया। वाद पत्र में निम्न तनकीयात कायम की गई -

1. आया वाद पत्र के अनुतोष क के पैरा एक व दो में वर्णित रकबा 8.5173 हैक्टेयर घरुली तबादला व आपसी बंटवारा के मुताबिक संयुक्त खाते में बंटवारा होने से काश्तकार घोषित करवाने का हकदार हैं?
2. आया प्रतिवादी न. 1 घरुली बंटवारा व तबादला अनुसार वाद पत्र के अनुतोष ख के उप पैरा 1 ता 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार 8.5173 हैक्टेयर भूमि का घोषित किया जावे?
3. आया वादी के पक्ष में व प्रतिवादी न. 1 के विरुद्ध चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अनुतोष क की मय क - ख में वर्णित रकबा 8.5173 हैक्टेयर में प्रतिवादी न. 1 वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे ?
4. अन्य अनुतोष ?

उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर व्याख्या की गई। वादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी न. 1 को अवसर देने के बाद भी जिरह नहीं की गई इसलिए जिरह बंद की गई तथा साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाकर पत्रावली बहस पर रखी गई।

बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की तथा निवेदन किया कि वाद पत्र वादी का डिक्री किया जावे। प्रतिवादी न. 1 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। वाद पत्र का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से हैं :-

तनकी न. 1 :- वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयों में अलग अलग खातों का रकबा हैं उसमें वादी व प्रतिवादी न. 1 का बराबर हिस्सा हैं व रकबा की किस्म भी समान हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में काश्तकारों की सुविधा के लिए यह प्रावधान दिया हुआ होने से तनकी न. 1 का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

तनकी न. 2 :- तनकी न. 2 के अनुसार प्रतिवादी न. 1 भी जैरवाद भूमि का खातेदार काश्तकार हैं व वादी व प्रतिवादी न. 1 ने घरूली बंटवारा को स्टाम्प पर लिखित करके नोटेरी वकील से तस्दीक करवाया हुआ है व संयुक्त खाते के घरूली बंटवारे के लिए की गई लिख पढ़ कानूनसम्मत होने से इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है परन्तु प्रतिवादी न. 1 द्वारा अपने हिस्सा में से कुछ रकबा विक्रमसिंह को बैय कर दिया गया है इसलिए उसका कुछ हिस्सा कम हो गया है।

तनकी न. 3 :- तनकी न. 3 का निर्णय इस प्रकार से किया जाता है कि वादी व प्रतिवादी न. 1 मुताबिक डिक्री अपने अपने हिस्सा तक के रकबा पर काबिज काश्त करेंगे। एक दूसरे के हिस्सा के रकबा में दखल नहीं करने की डिक्री जारी करवाने के कानूनी हकदार होने से इस तनकी का निर्णय दोनों पक्षों पर प्रभावी रहेगा।



उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण व पैरोकार राज की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन करने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 92ए, 48,49 का अद्योपान्त अध्ययन किये जाने पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. (ए) के खाता संख्या 62/2 की भूमि पर एक अन्य वाद जैरकार होने के कारण उतनी भूमि को छोड़ते हुए वादी व प्रतिवादी न. 1 की अलग अलग खातों में जितना समान हिस्सा है व दोनों की आपस में सहमती की लिखा पढ़ी की हुई है उस हद तक वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से वादी एवं प्रतिवादी न. 1 के हिस्सा की घोषणा की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

वादी रामप्रताप पुत्र भारुराम

चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. ए पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2074-2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 72 नया, 81 पुराना के पत्थर नम्बर 15/296 मु.न. 13 के किला नम्बर 21/1/0.2280 नहरी, 21/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 22/0.2530 नहरी, 23/1/0.1770 नहरी = 0.6580 नहरी, 0.0250 गै.मु.रास्ता, पत्थर नम्बर 15/297 मु.न. 20 किला नम्बर 3/1/0.2150 नहरी, 3/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 4/1/0.2150 नहरी, 4/2/0.0380 गै.मु.रास्ता, 5/1/0.2150 नहरी, 5/2/0.0380 गै.मु.रास्ता, 6 ता 8, 14-15/1.2650 नहरी = 1.9100 नहरी, 0.1140 गै.मु.रास्ता, पत्थर नम्बर 16/296 मु.न. 12 किला नम्बर 1 ता 20, 25/1 व 25/2 = 5.1880 हैक्टेयर नहरी, 0.1250 हैक्टेयर खाला इस खाते की 7.7560 हैक्टेयर नहरी, 0.1390 गै.मु. रास्ता व 0.1250 हैक्टेयर खाला की भूमि में प्रतिवादी न. 1 बलराम का 1/2 हिस्सा कलमजन कर इस खाते की 8.0200 हैक्टेयर मय खाला रास्ता वादी रामप्रताप को खातेदार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. ए पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2074-2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 73 नया, 13 पुराना के पत्थर नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

14/298 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/0.2530, 2/1/0.1260, 10/0.2530 = 0.6320 हैक्टेयर भूमि में वादी रामप्रताप के 1/2 हिस्सा में से 0.1260 हैक्टेयर भूमि का ही खातेदार रख कर शेष भूमि में वादी रामप्रताप का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम

चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(बी) पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2073-2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 24 नया, 22 पुराना के पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 के किला नम्बर 1/1/0.2030 नहरी, 1/2/0.0250 खाला, 1/3/0.0250 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.2030 नहरी, 2/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 2/3/0.0250 खाला, 9 ता 12/1.0120 नहरी, 13/2/0.1260, 18 ता 23/1.5180 नहरी = 3.0620 नहरी, 0.0500 खाला, 0.0500 गै.मु.रास्ता कुल 3.1620 हैक्टेयर नहरी मय खाला व गै.मु.रास्ता जो पहले से ही प्रतिवादी न. 1 बलराम के नाम से हैं।



चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(बी) पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2073-2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 40 नया, 38 पुराना के पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 के किला नम्बर 3/1/0.2030 नहरी, 3/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 3/3/0.0250 खाला, 4/1/0.2030 नहरी, 4/2/0.0250 खाला, 4/3/0.0250 गै.मु.रास्ता. 5/1/0.2030 नहरी, 5/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 5/3/0.0250 खाला, 6 ता 8/0.7590 नहरी, 13/1/0.1270 नहरी, 14 ता 17/1.0120 नहरी, 24, 25/0.5060 नहरी = 3.0130 नहरी, 0.0750 गै.मु.रास्ता, 0.0750 खाला कुल 3.1630 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु.रास्ता व खाला खातेदारी में से वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खाते में प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम का नाम दर्ज किया जावे। इसी प्रकार चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) की जमाबंदी संवत 2074 ता 2077 पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2073-2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 73 नया, 13 पुराना के पत्थर नम्बर 14/298 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/0.2530, 2/1/0.1260, 10/0.2530 = 0.6320 हैक्टेयर में से 0.5060 हैक्टेयर तक वादी रामप्रताप का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम को 0.5060 हैक्टेयर अ.क. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार जमाबंदी में दर्ज किया जावे। चक 13 एल.के.एस. पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि. भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2075-2078 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 49 नया, 35 पुराना के पत्थर नम्बर 17/283 मु.न. 14 के किला नम्बर 11 ता 25 के 3.6690 हैक्टेयर अ.कं.बा. व 0.0750 हैक्टेयर खाला कुल 3.7440 हैक्टेयर में जमनादेवी पत्नी भारूराम 1/9 हिस्सा व वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम 1/9 हिस्सा का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 बलराम के नाम 2/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2074-2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 62 नया, 2 पुराना के पत्थर नम्बर 15/298 मु.न. 23 के किला नम्बर 1 ता 10/1 व 15/1 की 2.4290 हैक्टेयर नहरी में भारूराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम को 68/2429 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार जमाबंदी में दर्ज किया जावे, इस खाता संख्या 62/2 में भारूराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रावताराम के नाम के आगे लगा नोट एसडीएम कोर्ट सूरतगढ़ क्रं/राजस्व/टी.आई. /14/3179-48 दिनांक 13.10.14 इसी अदालत द्वारा जारी किया हुआ है इसलिए इसे डिक्री की पालना में बाधक नहीं माना जावे तथा प्रतिवादी न. 1 बलराम के विरुद्ध उसके पुत्र राजवीर द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिया गया स्थगन आदेश राजस्व/टी.आई. /373-76 दिनांक 23.01.2023 व नोट दिनांक 08.01.2025 भी इसी अदालत द्वारा जारी किया हुआ होने से जिन जमाबंदियों में उस स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ है वह नोट प्रतिवादी न. 1 बलराम के हिस्सा की भूमि पर यथावत रखा जावे परन्तु डिक्री की पालना में बाधक नहीं माना जावे। वादी एवं प्रतिवादी न. 1 दोनो के नाम बैंक से रहन का नोट अपने अपने खाते पर यथावत लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सुनाया गया।



(सन्दीप कुमार)
सहायक उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (दिक्री)
सूरतगढ़।

(आदेश 21 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

-: परचा डिक्री :-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास - सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

-: अनवान :-

रामप्रताप पुत्र भारूराम जाति जाट निवासी 18 एल.जी.डब्ल्यू. ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र भारूराम जाति जाट निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. उप-पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण




वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 48, 49, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 01 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री बलदेव बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा निम्न प्रकार से वादी एवं प्रतिवादी न. 1 के हिस्सा की घोषणा की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं :-

वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम

चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. ए पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2074-2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 72 नया, 81 पुराना के पत्थर नम्बर 15/296 मु.न. 13 के किला नम्बर 21/1/0.2280 नहरी, 21/2/0.0250गै.मु.रास्ता, 22/0.2530 नहरी, 23/1/0.1770 नहरी = 0.6580 नहरी, 0.0250 गै.मु.रास्ता, पत्थर नम्बर 15/297 मु.न. 20 किला नम्बर 3/1/0.2150नहरी, 3/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 4/1/0.2150नहरी, 4/2/0.0380गै.मु.रास्ता, 5/1/0.2150नहरी, 5/2/0.0380गै.मु.रास्ता, 6 ता 8, 14-15/1.2650 नहरी = 1.9100 नहरी, 0.1140 गै.मु.रास्ता, पत्थर नम्बर 16/296 मु.न. 12 किला नम्बर 1 ता 20, 25/1 व 25/2 = 5.1880 हैक्टेयर नहरी, 0.1250 हैक्टेयर खाला इस खाते की 7.7560 हैक्टेयर नहरी, 0.1390 गै.मु. रास्ता व 0.1250 हैक्टेयर खाला की भूमि में प्रतिवादी न. 1 बलराम का 1/2 हिस्सा कलमजन कर इस खाते की 8.0200 हैक्टेयर मय खाला रास्ता वादी रामप्रताप को खातेदार घोषित किया जाता हैं व इसी प्रकार चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. ए पटवार हल्का ढाबां भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2074-2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 73 नया, 13 पुराना के पत्थर नम्बर 14/298 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/0.2530, 2/1/0.1260, 10/0.2530 = 0.6320 हैक्टेयर भूमि में वादी रामप्रताप के 1/2 हिस्सा में से 0.1260


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हैक्टेयर भूमि का ही खातेदार रख कर शेष भूमि में वादी रामप्रताप का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम

चक 19 एल.जी.डब्ल्यू(बी) पटवार हल्का ढाबां भूअभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2073-2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 24 नया, 22 पुराना के पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 के किला नम्बर 1/1/0.2030 नहरी, 1/2/0.0250 खाला, 1/3/0.0250 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.2030 नहरी, 2/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 2/3/0.0250 खाला, 9 ता 12/1.0120 नहरी, 13/2/0.1260, 18 ता 23/1.5180 नहरी = 3.0620 नहरी, 0.0500 खाला, 0.0500 गै.मु. रास्ता कुल 3.1620 हैक्टेयर नहरी मय खाला व गै.मु.रास्ता जो पहले से ही प्रतिवादी न. 1 बलराम के नाम से हैं।



चक 19 एल.जी.डब्ल्यू(बी) पटवार हल्का ढाबां भूअभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2073-2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 40 नया, 38 पुराना के पत्थर नम्बर 24/291 मु.न. 17 के किला नम्बर 3/1/0.2030 नहरी, 3/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 3/3/0.0250 खाला, 4/1/0.2030 नहरी, 4/2/0.0250 खाला, 4/3/0.0250 गै.मु.रास्ता. 5/1/0.2030 नहरी, 5/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 5/3/0.0250 खाला, 6 ता 8/0.7590 नहरी, 13/1/0.1270 नहरी, 14 ता 17/1.0120 नहरी, 24, 25/0.5060 नहरी = 3.0130 नहरी, 0.0750 गै.मु.रास्ता, 0.0750 खाला कुल 3.1630 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु.रास्ता व खाला खातेदारी में से वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खाते में प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम का नाम दर्ज किया जावे। इसी प्रकार चक 18 एल.जी.डब्ल्यू(ए) की जमाबंदी संवत 2074 ता 2077 पटवार हल्का ढाबां भूअभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2073-2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 73 नया, 13 पुराना के पत्थर नम्बर 14/298 मु.न. 24 के किला नम्बर 1/0.2530, 2/1/0.1260, 10/0.2530 = 0.6320 हैक्टेयर में से 0.5060 हैक्टेयर तक वादी रामप्रताप का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम को 0.5060 हैक्टेयर अ.क. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार जमाबंदी में दर्ज किया जावे। चक 13 एल.के.एस. पटवार हल्का ढाबां भूअभि.नि. भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2075-2078 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 49 नया, 35 पुराना के पत्थर नम्बर 17/283 मु.न. 14 के किला नम्बर 11 ता 25 के 3.6690 हैक्टेयर अ.कं.बा. व 0.0750 हैक्टेयर खाला कुल 3.7440 हैक्टेयर में जमनादेवी पत्नी भारूराम 1/9 हिस्सा व वादी रामप्रताप पुत्र भारूराम 1/9 हिस्सा का नाम कलमजन कर प्रतिवादी न. 1 बलराम के नाम 2/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 18 एल.जी.डब्ल्यू(ए) पटवार हल्का ढाबां भूअभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवत 2074-2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 62 नया, 2 पुराना के पत्थर नम्बर 15/298 मु.न. 23 के किला नम्बर 1 ता 10/1 व 15/1 की 2.4290 हैक्टेयर नहरी में भारूराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर प्रतिवादी न. 1 बलराम पुत्र भारूराम को 68/2429 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार जमाबंदी में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किया जावे, इस खाता संख्या 62/2 में भारूराम पुत्र रावताराम के नाम के आगे लगा नोट एसडीएम कोर्ट सूरतगढ़ क्रं/राजस्व/टी.आई./14/3179-48 दिनांक 13.10.14 इसी अदालत द्वारा जारी किया हुआ है इसलिए इसे डिक्री की पालना में बाधक नहीं माना जावे तथा प्रतिवादी न. 1 बलराम के विरुद्ध उसके पुत्र राजवीर द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिया गया स्थगन आदेश राजस्व/टी.आई./373-76 दिनांक 23.01.2023 व नोट दिनांक 08.01.2025 भी इसी अदालत द्वारा जारी किया हुआ होने से जिन जमाबंदियों में उस स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ है वह नोट प्रतिवादी न. 1 बलराम के हिस्सा की भूमि पर यथावत रखा जावे परन्तु डिक्री की पालना में बाधक नहीं माना जावे। वादी एवं प्रतिवादी न. 1 दोनों के नाम बैंक से रहन का नोट अपने अपने खाते पर यथावत लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें।

नोज..... × मुबलिंग.....× बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह × फर्सदो की पालना ×..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **17.02.2025** को जारी की गई।



(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)